न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 04/2015

सायल :– सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली

बनाम

गैरसायल:– भीकमचन्द पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर, मण्डिया रोड़, पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :
सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक गैरसायल

:: निर्णय ::

दिनांक:– 23/10/2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 16.09.2015 को गैरसायल भीकमचन्द पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर, मण्डिया रोड़, पाली पुलिस थाना कोतवाली, पाली के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली का आपराधिक प्रवति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2003 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है, जिनमें से 10 प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज हुए है। अधिकांश प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली पाली	612/14.11.2003	19/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
2	कोतवाली पाली	126/03.03.2005	19/54 आबकारी अधिनियम	माननीय न्यायालय सीजेएम पाली से दिनांक 14.07.2005 को 200 रूपये का अर्थदण्ड या 15 दिवस का कारावास
3	कोतवाली पाली	275/03.06.2005	19/54 आबकारी अधिनियम	माननीय न्यायालय सीजेएम पाली से दिनांक 20.03.2006 को 250 रूपये का अर्थदण्ड या 15 दिवस का कारावास
4	कोतवाली पाली	76/2007	19/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
5	कोतवाली पाली	147/12.04.2010	19/54 आबकारी अधिनियम	माननीय न्यायालय सीजेएम पाली से दिनांक 14.09.2012 को धारा 4 (1) के तहत पाबन्द
6	कोतवाली पाली	446/18.10.2010	16/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
7	कोतवाली पाली	530/13.12.2010	19व 16/54 आबकारी	माननीय न्यायालय सीजेएम पाली से दिनांक 16.02.2012 को 100 रूपये का

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

			अधिनियम	अर्थदण्ड व धारा 4(1) के तहत पाबन्द
8	कोतवाली पाली	284/13.07.2010	19 व 16/54 आबकारी अधिनियम	माननीय न्यायालय सीजेएम पाली से दिनांक 04.05.2012 को धारा 4 (1) के तहत पाबन्द
9	कोतवाली पाली	131/06.03.2013.2005	19/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
10	कोतवाली पाली	623/30.11.2014	20/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल
11	कोतवाली पाली	386/13.08.2015	19/54 आबकारी अधिनियम	जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल भीकमचन्द पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर, मण्डिया रोड़, पाली पुलिस थाना कोतवाली, पाली अवैध शराब के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन अवैध शराब का धंधा करने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते है। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासन हेतु कानूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरूद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरूद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई।

गैरसायल की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही किसी प्रकार की शहादत सूची प्रस्तुत की एवं न ही अपने बचाव में कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए।

ए0पी0पी0 एवं विद्वान अभिभाषक गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली का अव्वल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरूद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरूद्ध सूचना देने में भी कतराते है, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पडता है। गैरसायल आदतन अवैध शराब का धन्धा करता है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

वकील गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गेरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गेरसायल किसी भी रूप में अवैध शराब का धन्धा नहीं करता है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यु0 2002 (4) पेज 2181 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरूद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 137/2005 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2005 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 200 रूपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 302/2005 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2006 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 250 रूपये जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 183/2010 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 14, 16/54, 19/54 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए 100 रूपये बतौर अभियोजन व्यय एवं पांच हजार रूपये का निजी बंधपत्र व इसी राशि की जमानत पर एक वर्ष की अवधि तक अपराध की पुनरावृति नही करनें, शांति व सद्आचरण बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि गैरसायल गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 में विहित गुण्डा की परिभाषा में शुमार होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(iii) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल भीकमचन्द पुत्र उदयराम जाति कलाल निवासी गांधी नगर, मण्डिया रोड़, पाली पुलिस थाना कोतवाली, पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत एक माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली, पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नही रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नही लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल भीकमचन्द, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रूपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। गैरसायल को आदेश दिये जाते है कि वह तत्काल पाली जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक जालोर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा निर्धारित थाने से सम्बन्धित थानाधिकारी गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली एवं जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली